यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, चम्पावत के माह 11/2013 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री खुशीराम व.ले.प. श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.05.2017 से 15.05.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रेमचन्द, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.11.2013 से 18.11.2013 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2002 से 10/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह नवम्बर 2013 से अप्रैल 2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(I)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

**(II)** (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | प्रा. अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2014-15 | शून्य | - | 27320000 | 18977971 | 2344000 | 1645821 | - | 9040217 |
| 2015-16 | शून्य | - | 21065000 | 18954244 | 1140000 | 1063174 | - | 2187522 |
| 2016-17 | शून्य | - | 19820000 | 18340093 | 3461000 | 2494335 | - | 2446572 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रा. अवशेष | प्राप्त | व्यय आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**(iii)** इकाई को बजट आवंटन निदेशक जनजाति कल्याण द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हे इकाई सी श्रेणी की है।

**(iv)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, चम्पावत को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 एवं 04/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

**(vi)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 (i) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर **01:** निर्माण कार्य के संबंध में ग्राहक विभाग की निगरानी कमेटी के अभाव के कारण लागत रू**0 158.94** लाख व्यय के बावजूद उद्देश्य अर्पूण पाया जाना।

राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट के विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2012-13 में उत्तराखण्ड शासन द्वारा लागत रू0 158.94 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्माण एंजेसी उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 01.06.2011 को निर्धारित लोक निर्माण विभाग की दरों के आधार पर Detailed estimate गठित किया गया। निर्माण एजेंसी को दो किस्तों में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में समस्त धनराशि जारी किया जाना पाया गया। परन्तु लेखापरीक्षा में दोनों संकाय की जगह उपलब्ध राशि से निर्माण एजेंसी द्वारा विज्ञान संकाय भवन का ही कार्य पूरा किया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई का उत्तर का उल्लेख पाया गया कि धन का आवंटन वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 में किया गया। दरों में बढ़ोत्तरे होने के कारण निर्माण कार्यों की कीमत में बढ़ोत्तरी होना स्वाभाविक है, यही कारण है कि आवंटित धनराशि से केवल साइंस ब्लॉक का निर्माण कराया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है, क्योंकि ग्राहक विभाग को Time overrun-Cost overrun से बचने के लिए समुचित प्रयास किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

**STAN**

प्रस्तर **1 :** कॉशनमनी धनराशि रु **16,51,623** को अवरुद्ध रखे जान**s** का प्रकरण।

कॉशनमनी एक प्रतिभूति धनराशि है. जिसे महाविद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों से पुस्तकों इत्यादि की क्षतिपूर्ति के लिए लिया जाता है शिक्षण कार्य समाप्त होने के पश्चात छात्रो को यह धनराशि लौटा दी जाती है। अगर इस धनराशि को वापस छात्रों को लौटाया नहीं जाता है तो निदेशालय से दिशा-निर्देश प्राप्त कर इस धनराशि को छात्रहित में पुस्तकें क्रय कर अथवा अन्य छात्र कल्याण संबंधी कार्यें में प्रयोग किया  किया जा सकता है।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट के कॉशनमनी सम्बन्धी अभिलेखों की जांच की गयी जिसमें पाया गया कि रू0 16,51,623 अवरूद्ध थे। इस धनराशि को न ही तो छात्रों को वापस किया गया और न ही इसको व्यय करने के संबंध में निदेशालय से दिशा-निर्देश प्राप्त किया गया। इस संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति उठाए जाने पर महाविद्यालय ने स्पष्ट किया कि छात्रों द्वारा अपनी कॉशनमनी वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं करते हैं। इसलिए धनराशि अवशेष है। इसके निस्तारण हेतु निदेशालय से दिशा-निर्देश प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

महाविद्यालय का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि के निस्तारण हेतु महाविद्यालय को दिशा-निर्देश प्राप्त कर छात्र हित सम्बन्धी अन्यत्र व्यय किए जा सकते थे। महाविद्यालय की उदासीनता से धनराशि अवरूद्ध पड़ी थी। अतः धनराशि रू0 16,51,623 कॉशनमनी अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

## भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या | भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या | **STAN** |
|---|---|---|---|
| **137/2013-14** | **-** | **1** | **1, 2, 3** |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| ---------- | | | | |

## भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) ----------

**2.** सतत् अनियमितताएं

(I) ----------

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | डा. सी.एस. जोशी, | प्राचार्य | अक्टूबर 2013 से 21.07.2017 तक |
| 2. | प्रो. के.एस. नेगी | प्राचार्य | 22.07.2014 से अब तक |

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.